



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125063

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18133 वर्ष 2026

रिया उर्फ नीतू शुक्ला

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: कपिल देव दुबे, प्रतीकधर द्विवेदी, राहुल कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आर.के. सिंह को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना चौरी-चौरा, जिला गोरखपुर से संबंधित वाद अपराध संख्या- 561 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 137(2), 127(3) बी.एन.एस., धारा 16/17/6 पोक्सो अधिनियम, धारा 3(1) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 और धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी अधिनियम में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सूचनादाता की नाबालिग बेटी दिनांक 01.11.2025 से अपने घर से लापता थी। बरामदगी के पश्चात पीड़िता के बयान धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपने दोनों बयानों में उसने वर्तमान आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। इसके बाद, पीड़िता को विवेचक द्वारा आवेदक के घर ले जाया गया, जहाँ उसने आवेदक की पहचान की और आरोप लगाया कि उसे आवेदक के घर पर रखा गया था, जहाँ से उसे वेश्यावृत्ति में संलिप्त होने के लिए भेजा गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीड़िता द्वारा लगाए गए उक्त आरोप के आधार पर आवेदक को वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक दिनांक 09.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह तर्क दिया गया कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आर.के. सिंह ने प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका अपहरण किया था और उसे एक होटल में ले गया था जहाँ उसे वेश्यावृत्ति का व्यवसाय करने के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लिए मजबूर किया गया था। बाद में उसे विवेचक द्वारा उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ उसे रखा गया था। उक्त स्थान आवेदक का घर था, और आवेदक की पहचान भी पीड़िता द्वारा की गई थी, जिसने बताया कि यह आवेदक का ही घर था जहाँ उसे रखा गया था।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।

6. पीड़िता ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने बयान में कहा है कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था और वह एक विनीत नामक व्यक्ति के साथ गई थी। उसने आगे कहा कि वह लगभग पांच महीने तक विनीत के साथ रही। हालांकि, जब धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत उसका बयान दर्ज किया गया, तो उसने एक नयी कहानी पेश की। उसने दावा किया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका अपहरण किया गया था जिसने बाद में उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- रिया उर्फ नीतू शुक्ला को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/धमकाकर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगी।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में शामिल नहीं होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति के लिए उचित दंडात्मक कार्यवाही करने या दी गई जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

3 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"